न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 61 / 2018

1. लक्ष्मीचंद पुत्र प्रभुलाल जाति माली निवासी मांगरोल जिला बारां
2. हरिशंकर पुत्र प्रभुलाल जाति माली निवासी मांगरोल जिला बारां

.....वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 1955

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री सुनील कुमार गौड

दायरा दिनांकः 29.06.2018

निर्णय दिनांक : 29.06.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 158 खसरा नं0 4343 रकबा 2.48 है0 वाके ग्राम मांगरोल में स्थित है जमाबंदी सम्वत 2069–72 जिसमें वादी का हिस्सा मुताबिक खाता निहित है किन्तु जमाबंदी में सहवन से वादी कम 1 का नाम लक्ष्मीचंद पुत्र प्रभुलाल के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल दर्ज कर दिया है एवं वादी कम 2 का नाम शंकरलाल पुत्र प्रभूलाल दर्ज कर दिया है जबकि वादी कम 1 का वास्तविक नाम लक्ष्मीचंद एवं वादी कम 2 का वास्तविक नाम हरिशंकर ही है मुताबिक वादीगण वादपत्र एवं छाया प्रति आईडी वादी, आधार कार्ड वादी, राशनकार्ड में वादीकम 1 का नाम सही नाम लक्ष्मीचंद पुत्र प्रभुलाल एवं वादी कम 2 का नाम हरिशंकर पुत्र प्रभूलाल दर्ज हो रहा है अतः उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जावें।

वाद पत्र की पुष्टि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा की गई है इस प्रकार वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो प्रतिवादी है यह भली प्रकार सिद्ध है कि वाद पत्र के अनुसार वादी कम 1 का सही नाम लक्ष्मीचंद पुत्र प्रभूलाल व वादी कम 2 का सही नाम हरिशंकर पुत्र प्रभूलाल होना चाहिए।

अतः ग्राम मांगरोल की आराजी खाता संख्या 158 खसरा नं0 4343 रकबा 2.48 है0 में वादीकम 1 का नाम पप्पूलाल हजफ कर लक्ष्मीचंद पुत्र प्रभुलाल निवासी मांगरोल एवं वादी कम 2 का नाम शंकरलाल हजफ कर हरिशंकर पुत्र प्रभूलाल इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मांगरोल मजमेंआम में सुनाया गया।